राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 457/2015

पुष्पा शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर जोन, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.04.2015
आदेश की दिनांक : 03.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 12.09.1990 द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई थी और वर्ष 1999–2000 की रिक्ति के विरुद्ध दिनांक 14.07.2000 को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 10.02.2014 (अनुलग्नक–1) द्वारा वरिष्ठ लिपिकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी, जिसमें अपीलार्थी का नाम सूची में क्रमांक 545 व वरिष्ठता क्रमांक 486 पर अंकित किया गया। अपीलार्थी ने अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 10.2.2014 के विरुद्ध दिनांक 30.01.2015 (अनुलग्नक–2) द्वारा अभ्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत की। अपीलार्थी के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों ने भी अस्थायी वरिष्ठता सूची के विरूद्ध आपत्तियां/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये। अपीलार्थी द्वारा दायर आपत्ति/अभ्यावेदन का कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई अंतिम वरिष्ठता सूची भी प्रकाशित नहीं की गई और केवल अस्थायी वरिष्ठता सूची के आधार पर फरवरी 2015 में कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति करने के लिए डीपीसी आयोजित की गई। अपीलार्थी को कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया और अस्थायी वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए। कार्मिक विभाग ने दिनांक 04.06.2008 (अनुलग्नक–3) द्वारा अधिसूचना जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को विशेष रूप से पैरा 8.2 में निर्देशित किया था। इसमें प्रावधान है कि डीपीसी अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने के बाद आयोजित की जाएगी और अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने से पहले संबंधित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएं और आपत्तियों पर विचार करने के बाद वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया जाए और

अंतरिम (Provisional) वरिष्ठता सूची के आधार पर कोई डीपीसी आयोजित न की जाए और केवल अंतिम वरिष्ठता सूची से ही डीपीसी आयोजित की जाए। कार्मिक विभाग ने दिनांक 07.04.2015 (अनुलग्नक–4) द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीपीसी केवल अंतिम वरिष्ठता सूची के मामले में आयोजित की जाएगी। प्रत्यर्थी विभाग ने केवल कुछ कनिष्ठ व्यक्तियों को अनुचित लाभ देने के इरादे से गलत अस्थायी वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित की और डीपीसी आयोजित करने और पदोन्नति आदेश जारी करने से पहले प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया है। कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए पदोन्नति आदेश दिनांक 14.05.2015 जारी किया गया है (अनुलग्नक–5)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 14.05.2015 को अपास्त किया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को अस्थायी वरिष्ठता सूची के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए निर्देशित किया जावे और वरिष्ठ लिपिक के पद पर उनकी वरिष्ठता पर विचार करते हुए उन्हें वरिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता सूची में उचित स्थान पर रखा जावे और तदनुसार उन्हें अंतिम वरिष्ठता सूची के अनुसार 2013–14 या 2014–15 की रिक्ति के विरुद्ध कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नत किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश दिनांक 09.08.2007 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के निमय 32 के अंतर्गत रिव्यू डीपीसी किया जाना आदेशित किए जाने पर प्रतिवादी संख्या–2 के द्वारा दिनांक 10.02.2014 (अपील एनेक्चर–1) के द्वारा की गई रिव्यू डीपीसी में अपीलार्थी के नाम का अंकन क्रम संख्या 280 (वरिष्ठता क्रमांक 545) संशोधित चयन वर्ष 2000–01 निर्धारित किया गया। इसी की निरंतरता में प्रतिवादीगण का कथन है कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1957 के नियम 27 (एनेक्चर–1) के प्रावधानानुसार स्वैच्छा से स्थानान्तरित कार्मिको की वरिष्ठता का निर्धारण कार्यग्रहण तिथि से ही किया जाना आदेशित है। जिसके अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा रिव्यू डीपीसी की गई। नियम 27 के अनुसार वरिष्ठता संशोधित किए जाने एवं रिव्यू डीपीसी आयोजित किए जाने पर अपीलार्थी का रिव्यू डीपीसी में 2000–01 में चयन किया गया है जो कि सर्वथा उचित एवं नियमानुसार था। अपीलार्थी ने राज्य सरकार के नियम का हवाला मात्र दिया है जिस पर पृथक

से कोई टिप्पण आवश्यक नहीं है। डीपीसी की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अपील की ग्राहयता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर आदेश दिनांक 23.06.2015 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया गया कि वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक के पद पर होने वाली पदोन्नति में अपीलार्थी के लिए कार्यालय सहायक का एक पद रिक्त रखा जावे एवं आदेश दिनांक 14.05.2015 (अनुलग्नक–5) अपील के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य